राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 07/भू0अ0/ज0स0/2021/ दिनांक

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ **बीसलपुर बांध परियोजना की बांयी मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी. से 9.50 किमी. एंव चैनपुरा माईनर व चैनपुरा सब माईनर न01 के क्षेंत्र में आये ग्राम भेरूपुरा बोटून्दा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक की शेष रही (खसरा न01317 की 0.17 हैक्टयर)** भूमि की अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि सूची में वर्णित इलाकों की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। अतः यह विज्ञप्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11–12 के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जारी की जाती है जिनका इससे संबध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबध हैं, को कुछ समय के लिए अपने सेवकों एवं श्रमिकों सहित उस क्षेंत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है, जो उक्त धारा में दर्शाये गये है।

कोई हितकारी व्यक्ति जिसे निम्नाकिंत क्षेंत्र की किसी भूमि के अवाप्त करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह उक्त विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन होने के **60** दिन के अन्दर आपत्ति लिखित में **अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली जिला–टोंक** को प्रस्तुत कर सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।

सलग्नः–सूची।

आज्ञा से,

ह0
(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः 07/भू0अ0/ज0स0/2021/3133-3136 दिनांक 08.06.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जयपुर।

2–निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ ई–गजट पद्वति (राज–ई गजट माडयूल) के अनुसार अपलोड करने हेतु।

3–अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(क) इस विज्ञप्ति को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से परिक्षेंत्र (जिला) में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में हो, शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करे।

(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।

4–अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली जिला–टोंक को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता(जल संसाधन)
निर्माण खण्ड III बीसलपुर परियोजना,देवली
प्राप्ति
क्रमांक 384 दिनांक 29/7/2021
शाखा का नाम T/S
O.A. T.A. E.E.

बीसलपुर बांध परियोजना के बायीं मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी, चैनपुरा माईनर एवं चैनपुरा सबमाईनर नं. 1 के क्षेत्र में आये ग्राम भेरूपुरा बोटून्दा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक की शेष रही जमीन की धारा–11 की सूची।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खाता सं.	खसरा नं.	अवाप्त रकबा है0	किस्म जमीन	विशेष विवरण
1	जगदीश पुत्र बिरधा जाति मीणा	54	1317	0.02 0.03 0.12	माल–I माल–I माल–I	खसरा नं. 1317 की कुल भूमि 0.29 हैक्टयर में से बीसलपुर बांध की बायीं मुख्य नहर की आर.डी. 4.50 किमी से 9.50 किमी के अन्तर्गत अधिगृहत 0.02 हैक्टयर भूमि की धारा–4 दिनांक 27.04.2001 व धारा–6 दिनांक 05.10.2001 को तथा चैनपुरा माईनर एवं सबमाईनर नं. 1 के लिये अधिगृहत भूमि क्रमशः 0.03 हैक्टयर एवं 0.12 हैक्टयर भूमि की धारा–4 दिनांक 08.08.2003 एवं धारा–6 दिनांक 24.02.2004 को हुई थी, परन्तु तहसीलदार टोडारायसिंह की रिपोर्ट के तहत राज्यहित प्रभावित होना बताया गया। इस कारण से सहायक कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा पत्रावली ड्रोप कर दी गई थी, जिससे मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह टोंक के आदेशानुसार वाद मिसिल नं. 211/2008 निर्णय दिनांक 10.10.2011 के अनुसार इस खसरा नं. 1317 की समस्त भूमि 0.29 है0 पर राज्यहित प्रभावित होना नहीं माना गया। सम्बन्धित काश्तकार द्वारा माननीय न्यायालय की प्रति पेश करते हुए वर्तमान में, पूर्व में नहर में अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा भुगतान की मांग की गई हैं। इस खसरे के संबंध में तहसीलदार टोडारायसिंह के पत्रांक 7061 दिनांक 09.12.2020 की रिपोर्ट के तहत् राज्यहित प्रभावित नहीं होना बताया गया। इसके फलस्वरूप मुआवजा भुगतान हेतु धारा–11 की कार्यवाही प्रस्तावित है।
	योग		1	0.17		

(कमलेश कुमार मीणा)
कनिष्ठ अभियन्ता

(प्रतीक चौधरी)
सहायक अभियन्ता
निर्माण उपखण्ड–III/III
बीसलपुर परियोजना, देवली।

(रविन्द्र कटारा)
अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–III,बीसलपुर
परियोजना, देवली।

प्रति हस्ताक्षरित
(जितेन्द्र दीक्षित) (बी. एस. सागर)
अधीक्षण अभियन्ता

E:\iii.iii\prateek ji AEN\dhara 11 and 12 botunda.doc